कार्यालयः— जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू (राज.)

क्रमांकः— लेखा/2026—27/243-245 दिनांकः— 28.09.2026

एस.आर.प्रारूप—14

बोली आमंत्रण सूचना संख्या : 04/2026—27

[राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 का नियम—43(1) व (2) सपठित 43(5)]

(NIB No.D.S.C.262.7.A.0910....)

जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू के उपयोग हेतु निम्नवत विगत की विषयवस्तु/सामान/मैटेरियल, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम—15 के अन्तर्गत खुली बोली प्रकिया से क्रय करने हेतु विनिर्माताओं, प्राधिकृत वितरक एवं विक्रेता/प्राधिकृत स्टॉकिस्ट/प्राधिकृत व्यवहारी/प्राधिकृत सेवा केन्द्र तथा सद्भावी व्यवहारियों से जो वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अन्तर्गत पंजीकृत हो, से S.P.P.P. पोर्टल पर प्रकाशित होने, अथवा दिनांक 29.09.2026 से 06.10.2026 तक 11:00 ए.एम. तक बोली प्रपत्र विक्रय किये जाकर दिनांक 06.10.2026 को दोपहर 02:00 पी.एम. तक मोहरबन्द बोली RTPP एक्ट, 2012 एवं RTPP नियम, 2013 में निहित प्रावधान एवं G.F.&A.R. पार्ट—II के एस.आर. प्रारूप—16 की यथा उपान्तरित शर्तों के अधीन आमंत्रित की जाती हैं, एवं प्राप्त बोलियाँ दिनांक 06.10.2026 को समय 04:30 पी.एम. पर जिला न्यायालय अथवा अध्यक्ष, उपापन समिति के अवकाशागार में उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क्र. सं.	उपापन की विषयवस्तु का विवरण मय स्पे. सिफिकेशन	मात्रा	अनुमानित राशि	बोली प्रतिभूति (EMD) राशि 2%	बोली प्रपत्र शुल्क	आपूर्ति अवधि	बोली विक्रय अवधि	बोली प्राप्ति दिनांक एवं समय अवधि	प्राप्त बोलियाँ खोलने की दिनांक व समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01	डेस्कटॉप कम्प्यूटर मय यूपीएस (अनेक्स ए एवं बी)	03	234300/—	4686/—	200/—	30 दिन	S.P.P.P. पोर्टल पर प्रकाशित होने अथवा दिनांक 29.09.2026 से 06.10.2026 प्रातः 11:00 बजे तक	दिनांक 06.10.2026 को दोपहर 02:00 बजे	दिनांक 06.10.2026 को 04:30 पी.एम.
02	रिवॉल्विंग चेयर (अनेक्स सी)	06							
	कुल राशि		234300/—	4686/—	200/—				

आवश्यक शर्तें:—

1. बोली प्रतिभूति राशि का डी.डी., ***जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू*** के नाम से/पक्ष में देय होगा।
2. बोली को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार, अध्यक्ष, क्रय समिति, जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू को रहेगा।
3. बोली से संबंधित विस्तृत शर्तें एवं विनिर्देश कार्य दिवसों में क्रेता के कार्यालय में तथा राज्य लोक उपापन पोर्टल https://www.sppp.rajasthan.gov.in (UBN No.) एवं विभागीय वेबसाइट https://churu.dcourts.gov.in पर देखी जा सकती है।
4. बोली प्रपत्रों का विक्रय, वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अन्तर्गत पंजीकृत फर्मों को रजिस्ट्रेशन की प्रति उपलब्ध करवाने पर ही किया जायेगा एवं फर्नीचर आपूर्ति हेतु फर्म का एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आवश्यक है तथा सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. बोली प्राप्त करने की अंतिम तिथि को सार्वजनिक/राजपत्रित अवकाश पड़ने पर बोली पर बोली अगले कार्यदिवस को प्राप्त की जा सकेगी। इसी प्रकार बोली खोलने की तिथि पर अवकाश घोषित हो जाने पर बोली अगले कार्यदिवस को तय समय पर खोली जायेगी।
6. बोली दो लिफाफा पद्धति से आमंत्रित की गई है। बोलीदाता द्वारा तकनीकी—वाणिज्यिक बोली एवं वित्तीय बोली पृथक—पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। बोली दस्तावेज जो तकनीकी बोली के साथ संलग्न किए जाने है, उन्हें तकनीकी बोली प्रपत्र के साथ तकनीकी लिफाफा—अ में सील बंद किया जाएगा। वित्तीय बोली प्रपत्र, जिसमें दरें अंकित की जाएगी को वित्तीय लिफाफा—ब में सील बंद किया जाएगा। तकनीकी एवं वित्तीय बोली लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में रखकर सील बंद किया जाएगा। तीनों लिफाफों पर कार्य का नाम, कार्यालय का नाम जिसके लिए बोली प्रस्तुत की गई है एवं बिड सूचना संख्या अंकित की जावें। वित्तीय लिफाफे में वित्तीय निविदा ही रखी जाए, अन्य कोई प्रपत्र नही रखा जावे।

अन्य शर्तें:—

1. बोलियाँ विहित बोली प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी, जिसे इस कार्यालय से बोली प्रपत्र शुल्क रूपये 200/— का चालान बजट हेड **0075—00—800—52—01** में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा । RTPP नियम 45 (1) के अनुसार बोली दस्तावेज SPPP पोर्टल से डाउनलोड

करने पर बोली दस्तावेज के साथ बोली प्रपत्र के शुल्क के चालान की रसीद संलग्न करनी होगी। उस राशि का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा, जो बोलियाँ विहित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं की जायेंगी व अस्वीकार करने योग्य होंगी।

2. बोलियाँ मोहरबन्द लिफाफे मे, जिस पर स्पष्ट रूप से जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू के उपयोग हेतु ***नवीन कम्प्यूटर मय यूपीएस एवं रिवॉल्विंग चेयर क्रय*** एवं "बोली आमंत्रण सूचना संख्या–04/2026–27" लिखा होगा, जो तय दिनांक एवं समय पर जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू में पहुँच जानी चाहिए। रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित निविदा के विलम्ब के लिए निविदादाता फर्म ही उत्तरदायी रहेगी।
3. जो भी बोलियाँ विहित दिनांक व समय के पश्चात् प्राप्त होंगी, उन्हें रद्द कर दिया जायेगा।
4. सामान/सामग्री को जिला न्यायालय, चूरू तक पहुंचाने का लगेज/परिवहन व्यय एवं इन्स्टॉलेशन चार्ज अलग से देय नहीं होगा।
5. माल की आपूर्ति अनुमोदित स्पेसिफिकेशन एवं मेक के अनुसार करनी होगी, अन्यथा आपूर्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।
6. उद्धृत दर में GST व अन्य सभी प्रभार/शुल्क सम्मिलित होंगे तथापि अलग से देय नहीं होंगे।
7. किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। स्पेसिफिकेशन एवं अनुमोदित नमूनों के अनुरूप आपूर्ति का, प्रभारी अधिकारी (स्टोर) के सत्यापन एवं संचालन के बाद ही ECS/NEFT पद्धति से भुगतान जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू के लेखा शीर्ष की विस्तृत इकाई–05 (कार्यालय व्यय) में बजट उपलब्धता के अध्यधीन फर्म के बैंक खाते में अंतरित किया जायेगा।
8. निविदत्त दरें, निविदा खोलने की तिथि से 90 दिन तक वैध रहेंगी।
9. बोली शर्तों के किसी भी प्रकार के संदेह अथवा मन्शा के संबंध में बोली प्रपत्र खरीदने/डालने से पूर्व कार्यालय समय में क्रय समिति से स्पष्टता प्राप्त की जा सकती है।
10. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र चूरू ही होगा।
12. <u>बोली दस्तावेजों में बोली विषयवस्तु के अधिकृत विक्रेता होने का प्रमाण पत्र, फर्नीचर आपूर्ति फर्म को एमएसएमई सर्टीफिकेट, ब्लैकलिस्ट नही होने का शपथपत्र, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।</u>

अध्यक्ष (उपापन समिति)
जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू (राज.)

क्रमांकः– लेखा/2026–27/ 1 **दिनांकः– 28.09.2026**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर (राज.) को उनसे प्राप्त बजट आवंटन पत्र क्रमांक 60/55/1871–1879 दिनांक 01.06.2026 के अनुसरण में।
2. सीनियर सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू (राज.) को उक्त बोली आमंत्रण सूचना विज्ञप्ति, बोली प्रपत्र एवं बोली शर्तें, जिला न्यायालय की विभागीय वेबसाइट https://churu.d-courts.gov.in पर अविलम्ब प्रकाशित कर पुष्टि उपलब्ध करवाने हेतु।
3. जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू (राज.) के नोटिस बोर्ड पर चस्पानगी हेतु।
4. ज्ञात फर्म मैसर्स
.....
.....

अध्यक्ष (उपापन समिति)
जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू (राज.)

कार्यालयः– जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू (राज.)

एस.आर.प्रारूप–15
[GF&AR Part-II का नियम–68(1)]

तकनीकी बोली प्रपत्र

[RTPP Act का नियम–36(2)]
बोली प्रपत्र शुल्क – 200/–

बोली आमंत्रण सूचना संख्या : 04/2026–27

1. **कार्य का नाम –** जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू के उपयोग हेतु कम्प्यूटर मय यूपीएस एवं रिवॉल्विंग चेयर मदों का उपापन
2. **बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम –**
3. बोली प्रपत्र शुल्क की राशि 200/– चालान रसीद संख्या..... दिनांक..... द्वारा जमा करवा दी गई है।
4. बोली प्रतिभूति (EMD) राशि जमा का बैंक ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक..... बैंक का नाम.....का संलग्न कर दिया गया है।
5. बोली में अंकित सामानों को अनुमानित मूल्य राशि रूपये है।
6. फर्म द्वारा आदेश प्राप्ति की दिनांक से 30 दिन की अवधि में माल की सुपुर्दगी कर दी जावेगी।
7. दरें दिनांक..... तक के लिए विधि मान्य हैं, इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा।
8. एमएसएमई सर्टीफिकेट नं..... (फर्नीचर आपूर्ति हेतु)।
9. फर्म का आयकर/जीएसटी नं..... है।
10. क्रय किये जाने वाले आईटम संलग्न प्रपत्र के अनुसार हैं। आईटम के सामने फर्म द्वारा दरें अंकित की गई हैं, जिसमें समस्त कर/जीएसटी भी सम्मिलित है।
11. हम जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू द्वारा जारी की गई बोली आमंत्रण सूचना संख्या दिनांक में वर्णित सभी शर्तों तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त बोली सूचना की अतिरिक्त शर्तों विनिर्देश से बाध्य होना स्वीकार करते हैं, जिसको स्वीकार करने के प्रमाण में इनके सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

घोषणा–पत्र

[GF&AR Part-II का नियम–48(vii) व RTPP नियम 39(4)] एस.आर.प्रारूप–11

उपरोक्त समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चूरू (राज.) का निर्णय हमारे लिए मान्य होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी फर्म द्वारा वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा की गई है, उसके हम बोनाफाईड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/विपणन एजेंट हैं। राज्य सरकार/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वायत्तशासी संस्थान/निगम/बैंक आदि के द्वारा मेरी/हमारी फर्म को ब्लैकलिस्ट नहीं किया हुआ है। प्रतीकस्वरूप बोली प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय सील कर दिये हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाये तो किसी भी अन्य कारवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत किया जा सकेगा, तथा बिड को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

दिनांकः–

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर
पूर्ण पता व टेलीफोन/मोबाईल नं.

कार्यालय– जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू

बोली दस्तावेज मूल्य 200/– रूपये
बोली प्राप्ति दिनांक 06.10.2026 को समय 02:00 पी.एम. तक
बोली खोलने की दिनांक 06.10.2026 को समय 04:30 पी.एम. पर

बोली आमंत्रण सूचना संख्या : 04/2026–27

Technical Specification

Desktop / All in one PC — **Annex -A**

S.No.	Discription	
1	Brand	HP/Acer/Dell
2	Processor	Intel core i3 with 14th generation or higher
3	Processor speed	3.2 GHZ minmum or Higher
4	RAM	16 GB DDR4 or Higher
5	SSD	512 GB or Higher
6	Motherboard	Intel Original Motherboard or Equivalent Motherboard based on associated chipset with minimum Two free PCI/PCI-x/PCI-Express slots
7	Expandable Memory	Upto 32 GB at least 2 slots
8	Operating System	Ubuntu 20.04 or Higher
9	System Architecture	64 bit
10	Sceen Size	22 Inch LED-backlit IPS Monitor (HD resolution) or Higher
11	Key Board and Mouse	OEM USB optical scrolling mouse , OEM USB standard 104 keys Key-board
12	Speakers	Stereo Sound Speakers (Built in with CPU cabinet or Monitor) or External
13	Eathernet	Integrated Gigabit Ethernet Controller with Ipv6 Competent(Integrated 10/100/1000 Gbe LAN)
14	Wireless /Wi-fi	IEEE 802.11 (Internal)
15	USB Port	4 xUSB 2.0 , 2 xUSB 3.0, USB-C
16	Other Port	Mic-in, Speaker out , RJ45, VGA/ Display port out
17	HDMI Port	Yes
18	VGA Port	Yes
19	Power Supply/ Adapeter	Optimum wattage SMPS to support full use of system with all USB ports utilized
20	DVD Writer	Yes (if available)
21	Warranty	1 Years on site comprehensive warranty site service or More

UPS — **Annex -B**

S.No.	Discription	
1	Model No	600 VA UPS
2	Type	Offline /standby
3	Overload protection	Yes
4	Output plu	3 minimum
5	Full load run time	15 min. or Higher
6	Replacement Battery	Yes
7	Warranty	1 year on site service (min.) with battery

Revolving Chair — **Annex -C**

S.No.	Discription
1	Seat Size 20x20 inch
2	Backrest Size 20 inch
3	Steel Chair Base / Star Base
4	Hand Rest
5	Tilt Mechanism / Height Adjustment Lever

नोट:– 1. ओवरराईटिंग ना करे। कटिंग पर हस्ताक्षर करे।
2. समस्त मदों की दरें अंकों और शब्दों में लिखना अनिवार्य होगा।
3. प्रत्येक मद की बोली केवल एक ही दर अंकित करना आवश्यक है। अन्यथा स्थिति मे एक से अधिक दर अंकित होने पर केवल न्यूनतम दर ही स्वीकार्य होगी।
4. यदि आईटम किसी ब्रांड/Make से संबंधित होने पर, दर के समर्थन मे आईटम का मेक (Make) व ब्रोचर भी संलग्न किया जावे।
5. दर प्रस्ताव बोली की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के अध्यधीन प्रस्तुत की गई है।

Anita
AAO-II

सिनियर सिस्टम ऑफिसर

CJM Churu

अध्यक्ष, क्रय समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय, चूरू

हस्ताक्षर निविदादाता, बिडर/मोहर

बोली आमंत्रण सूचना संख्याः 04/2026–27

एस.आर.प्रारूप–16

[GF&AR पार्ट–II का नियम–68(3)]

[RTPP का नियम–36(3)]

खुली बोली के लिए बोली एवं संविदा की आवश्यक शर्तें

1. बोली विहित प्रारूप–में प्रस्तुत की जाएगी। जिन्हें इस कार्यालय से 200/– रूपये चालान जमाकर प्राप्त किया जा सकता है। **RTPP नियम 45(1) के अनुसार बोली दस्तावेज SPPP पोर्टल से डाउनलोड करने पर बोली दस्तावेजों के बोली प्रपत्र के शुल्क के चालान की रसीद संलग्न करनी होगी।** यह राशि प्रतिदाय नहीं होगी।

2. बोली बंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **"जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू के लिए नवीन कम्प्यूटर मय यूपीएस एवं रिवॉल्विंग चेयर मदों का उपापन"** हेतु बोली एवं बोली आंमत्रण सू. चना संख्या व दिनांक लिखा होना चाहिए।

3. **बोली दिनांक 06.10.2026 को समय दोपहर 02:00 बजे तक या उससे पूर्व प्रस्तुत करनी होगी। बोली दिनांक 06.10.2026 को 04:30 पी.एम. बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जाएगी।**

4. न्यूनतम दरों वाली बोली को स्वीकार करने के लिए कय समिति बाध्य नहीं होगी। तथा किसी भी बोली को या उस बोली के किसी भी भाग को बिना कारण बताएं रद्द किए जाने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष (उपापन समिति) के पास सुरक्षित रहेगा।

5. विहित समय व तारीख के बाद प्राप्त बोली पर विचार नही किया जाएगा।

6. निदेशक, उद्योग विभाग द्वारा जारी किए गए लघु उद्योग ईकाइयों के द्वारा मूल पंजीयन प्रति या राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रस्तुत करने पर **उन सामानों के लिए, जिनके लिए वे रजिस्टर्ड है, बोली प्रतिभूति (ई.एम.डी.) राशि अनुमानित मूल्य का 0.5 प्रतिशत अथवा 1 प्रतिशत एवं कार्य संपादन प्रतिभूति (एस.डी.) राशि आदेशित मात्रा के मूल्य की 1 प्रतिशत अथवा 2 प्रतिशत यथा समय प्रभावी ली जाएगी। तथा उपरोक्त से भिन्न फर्मो के लिए प्रतिभूति (ई.एम.डी.) राशि अनुमानित मूल्य का 2 प्रतिशत एवं कार्य संपादन प्रतिभूति (एस.डी.) राशि आदेशित मात्रा के मूल्य की 5 प्रतिशत होगी।**

7. वर्णित सामान की आपूर्ति बोली स्वीकार करने/**कार्यादेश जारी करने की तिथि से 30 दिवस के अंदर** की जाएगी। उक्त अवधि में करार निष्पादित करने की अवधि भी शामिल होगी। विहित परिदत्त अवधि में बोलीदाता जिन सामानों का प्रदाय करने में असफल रहेगा **सा.वि.ले.नियम भाग–II के नियम 58(3) के अनुसार परिनिर्धारित नुकसान (एल.डी.) की वसूली/कटौती की जाएगी तथा संविदा शर्तो को भंग करने की स्थिति में आरटीपीपी नियम–2013 के नियम–42 (11) के अनुसार बोली प्रतिभूति (ई.एम.डी.) राशि जब्त करने तथा नियम–73 (3) में प्रावधितानुसार** सफल बोली लगाने वालें के विरूद्ध आरटीपीपी अधिनियम–2012 या नियम–2013 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए अगले न्यूनतम या लाभप्रद बोली लगाने वाले को बोली स्वीकृति का प्रस्ताव देने के लिए स्वतंत्र होगी।

8. केवल मेन्यूफेक्चरिंग युनिट में रजिस्टर्ड निर्माता कंपनियों द्वारा निर्मित(ब्रांण्डेड) प्रोड्क्ट ही कय किये जाएगें तथा एसेम्बल्ड प्रोडक्ट कय हेतु स्वीकार नहीं किए जाएगें।

9. कय समिति द्वारा सामग्री कय का निर्माण गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन पूर्णता के आधार पर प्रत्येक आ. इटम वाईज वित्तीय परिणामों एवं नमूना परीक्षण सहित गुणवत्ता एवं टिकाउपन (Durability) पर आधारित होगा। बोलीदाता द्वारा संबंधित आईटम के ब्रोशर मय मेक बोली के साथ संलग्न करना होगा तथा कय समिति द्वारा सामग्री के भौतिक निरीक्षण/परीक्षण उपरान्त कय बाबत निर्णय लिया जाएगा। भौतिक परीक्षण हेतु सामग्री(आइटम) जिला न्यायालय परिसर में फर्म को स्वयं के खर्चे पर उपलब्ध/प्रस्तुत करवाना होगा । एतएव दर मूल्यांकन का विश्लेषण वांछित तकनीकी स्पेसिफिकेशन के अनुरूप प्रत्येक आइटम वाईज अलग–अलग किया जाएगा।

10. बोली प्रपत्र में अंकित विशिष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार्य नही होगा। दर के समर्थन में Make-Model No. अंकित कर उससे सम्बन्धित ब्रोशर भी संलग्न करना अपेक्षित होगा।

11. दर स्वीकृति बाद आपूर्ति आदेश के अनुसार संबंधित आपूर्तिकर्ता फर्म अनुमोदित सैम्पल के अनुरूप उपापन मदों की आपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा तथा आपूर्ति मदों की उचित पैकिंग स्वयं के खर्चे पर करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति/टूट–फूट नहीं हो तथा गन्तव्य स्थल पर उपापन संस्था को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। परिवहन के दौरान अथवा आपूर्ति प्राप्ति के समय किसी भी प्रकार की हानि, क्षति, टूट–फूट या कमी होने पर, बोलीदाता फर्म उपापन संस्था को उन मदों की कमीपूर्ति/सुधार करने के लिए उत्तरदायी होगी। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नही की जाएगी।

12. यदि क्रय मदों की आपूर्ति उपापन संस्था की संतुष्टि के अनुसार नही की जाएगी तो संबंधित बोलीदाता (आपूर्तिकर्ता फर्म) को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद उपापन संस्था प्रदाय हेतु संविदा को किसी भी समय निराकृत (Repudiate) कर सकेगी, जो आपूर्तिकर्ता फर्म पर बाध्यकारी होगी।

13. राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम–2013 के नियम 73 के अनुसार उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपापन नही करती है या बोली दस्तावेज में अंकित मात्रा से कम उपापन करती है तो बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नही होगा। आवश्यकता होने पर अतिरिक्त मदों या परिणाम के लिए पुनरादेश किया जा सकेगा। पुनरादेश के लिए आपूर्ति अवधि भी आनुपातिक रूप से बढाई जा सकेगी। पुनरादेश की मात्रा मूल संविदा के माल के मूल्य का 50 प्रतिशत तक होगी। यदि बोलीदात, ऐसी सप्लाई करने मे असमर्थ रहता है तो उपापन संस्था अवशेष सामान की सप्लाई काटेशन/सीमित बोली पद्धति या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगी तथा जो भी अति. रिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी बोलीदाता से वसूली की जायेगी।

14. **बोली प्रतिभूति (ई.एम.डी.) राशि 4686/– रूपये का बैंक ड्राफ्ट "जिला एवं स न्यायाधीश, चूरू" के पक्ष में संलग्न करना होगा। इसके अभाव में प्रस्तुत बोली स्वीकार करने योग्य नही होगी तथा बोली प्रतिभूति आरटीपीपी नियम–42(ii) के प्रावधानानुसार समपहृत (Forefeit) के दायित्वाधीन होगी।**

15. बोलीदाता को सामग्री की आपूर्ति **जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू** पर करनी होगी।

16. किसी भी प्रकार का लगने वाला कर, जी.एस.टी., शुल्क स्वयं बोलीदाता द्वारा देय होगा। **अतः दरें समस्त कर व शुल्क सहित ही प्रस्तुत करनी होंगी।** आवश्यक होने पर जी.एस.टी. व टी.डी.एस. की कटौती उपापन संस्था के स्तर पर की जाकर भुगतान किया जा सकेगा।

17. सामग्री की मात्रा घटाई या बढाई जा सकती है, अथवा किसी आईटम को क्रय करने/क्रय न करने के संबंध में क्रय समिति को पूर्ण अधिकार होगा।

18. बोली की विधि मान्यता अवधि आर.टी.पी.पी. एक्ट 2013 के नियम 48(1) के अनुसार **90 दिवस तक विधि मान्य रहेंगी,** किन्तु अपवादिक परिस्थिति में बोलीदाता की पारस्परिक सहमति से विधि मान्यता अवधि अभिवृद्धि की जा सकेगी, तथा बोली स्वीकृति के पश्चात् **अनुमोदित/स्वीकृत दर 31.03.27 तक मान्य होगी।**

19. सफल बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना की तिथि से सात दिवस में **आर.टी.पी.पी. नियम 70(7) सपठित 76(2)** के अनुसार अपेक्षित मूल्य रूपये 500/– के न्यायिक स्टाम्प पर **एस.आर. प्रारूप–17 में एककरार निष्पादित कर, कार्यादेश राशि की 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति (SD) राशि** जरिए ड्राफ्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू के पक्ष में जमा करवाना होगा। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जावेगा। **उक्त अवधि आपूर्ति अवधि 30 दिवस में ही शामिल रहेगी।** सामग्री की सप्लाई संतोषजनक एवं नियत अवधि में नहीं होने की स्थिति में **जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि** जब्त करने के दायित्वधीन होगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति सम्पूर्ण आपूर्ति बिना त्रुटिदायित्व के संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने के पश्चात् दो माह में लौटाई जा सकेगी। GF&AR पार्ट–II नियम 57(5)(ख)(i)व(ii) सपठित RTPP अधिनियम धारा 46(4) के प्रावधानांतर्गत कार्य सम्पादन प्रतिभूति समपहृत (Forfeited) के दायित्वधीन होगी।

20. यदि बोलीदाता द्वारा किसी अन्य विभाग/कार्यालय में बोली में अंकित सामग्री का निष्पादन किया गया हो तो ऐसे विभाग/कार्यालय के नाम भी प्रस्तुत किये जावें।

21. बोलीदाता क्रय सामग्री की यह भी गारण्टी देगा कि सुपुर्दगी तिथि से दिन/माह/वर्षो की अवधि के लिए यथा विर्निष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुसार सामग्री बनी रहेगी।

22. सफल बोलीदाता को सफलतापूर्वक आपूर्ति निष्पादित उपरान्त जिला न्यायालय, चूरू के संबंधित बजट लेखाशीर्षक की विस्तृत इकाई 05–कार्यालय व्यय (नवीन आईटम) में उपलब्ध बजट प्रावधानों के अध्यधीन भुगतान ऑनलाईन व्यवस्था के माध्यम से बोलीदाता के खाते में अन्तरित किया जावेगा, जिसके लिए फर्म को पेन कार्ड व बैंक खाता संख्या उपलब्ध करवाना होगा। भुगतान पर नियमानुसार आयकर/टी.डी.एस. देय होगा।

23. **बोली स्याही या बॉलपेन या टंकण से भरी जावें। पेंसिल से भरी बोली पर विचार नहीं किया जावेगा, ओवर राइटिंग/कटिंग नहीं करें। ओवर राइटिंग/कटिंग होने पर हस्ताक्षर आवश्यक रूप से करें।**

24. सशर्त बोली प्रथमदृष्टया निरस्त योग्य होगी। बोलीदाता यदि ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो बोली में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उसके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप से कार्यवाही कर रद्द कर दिया जावेगा।

25. सामग्री की गारण्टी/वारण्टी अवधि में नियमानुसार स्पलायर फर्म को निःशुल्क सर्विस उपलब्ध करानी होगी।

26. आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं रूल्स 2013 व सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम के समस्त प्रावधान उक्त क्रय पर यथा आवश्यक उपान्तरण सहित लागू एवं प्रभावी होंगे।

27. **बोलीदाता को जीएसटी के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य होगा तथा बोली के साथ जीएसटी रजिस्ट्रेशन व आयकर रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में बोली स्वीकार करने योग्य नही होगी तथा फर्नीचर आपूर्ति हेतु फर्म का एमएसएमई पंजीयन अनिवार्य होगा।**

28. **समी मदों की दरें डालना अनिवार्य है। प्रत्येक आइटम की एकल दरें ही मान्य होगी तथा एक से अधिक दर अंकित करने पर संबंधित आइटम की न्यूनतम दर ही स्वीकार की जाएगी। जो कम्प्यूटर, यूपीएस, रिवॉल्विंग चेयर आदि आइटमस किसी ब्रांण्ड/मैक से संबंधित होने पर, उसकी दर के साथ मैक अंकित कर ब्रोचर भी संलग्न किया जाए।**

29. **सा.वि.ले.नि. भाग–II के एसआर प्रारूप–16 एवं वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र संख्या 3/2013 दिनांक 04.02.2023 के संलग्नक (एनेक्सर ए से डी) की सम्पूर्ण शर्तें यथा उपान्तरित सहित उक्त उपापन पर प्रभावी रहेंगी।**

30. आरटीपीपी नियम–51 (2) के अनुसार बोली खोलने की तिथि को राजपत्रित/सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाने की स्थिति में बोली अगले कार्य दिवस को खोली जाएगी।

31. फर्म द्वारा बिड में अंकित मेक(Make) के अनुसार ही वास्तविक विनिर्माता(Make) की सामग्री ही आपूर्त करनी होगी। एसेम्बल्ड प्रोडक्ट क्रय हेतु स्वीकार नहीं किए जाएगे। पश्चात्वर्ती रूप से छद्म अथवा नकली (डूप्लीकेट) प्रोडक्ट की आपूर्ति पाये जाने पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

32. **राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–64 में प्रावधित प्रकियानुसार अंकगणितीय सुधार किया जा सकेगा।**

33. **अनुमोदित प्रदायकर्ता आपूर्ति आदेश के किसी भी भाग/मात्रा को किसी अन्य एजेन्सी/फर्म को नहीं सौंपेगा तथापि उप–भाड़े (सब–लेट) पर नहीं देगा।**

34. प्रदाय की जाने वाली सभी वस्तुऐं बोली में निर्धारित विनिर्देश (स्पेसिफिकेशन) के मानकीकृत (स्टेन्डर्ड) के अनुसार अति उत्तम गुणवत्ता एवं विवरण (Best Quality and Description) के अनुसार होगी। **इस बाबत उपापन संस्था द्वारा किया गया निर्णय अंतिम एवं संबंधित बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।**

35. जिन मदों पर वारंटी/गारंटी खण्ड लागू होगा, उन मदों के लिए बोलीदाता इस आशय की गारंटी/वा. रंटी देगा कि गारंटी/वारंटी से संबंधित विषयवस्तु/सामग्री सुपुर्दगी की दिनांक से विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी। इस तथ्य के बाद भी उक्त मदों के भौतिक निरीक्षण/परीक्षण पर उक्त विवरण एवं गुणवत्ता की नहीं होने पर उक्त मदों को उपापन समिति/उपापन संस्था को रद्द करने का हकदार होगा। रद्द की गई मदें सप्लायर/विक्रेता की जोखिम पर होगी, तथा माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। सप्लायर को गारंटी/वारंटी अवधि में जब भी ऐसा करने के लिए कहा जायेगा, वह उस माल/सामग्री को बदलने अथवा दोष सुधार करने के लिए तत्पर रहेगा, अन्यथा बोलीदाता ऐसी हानि का भुगतान करेगा, जो इसमें दी गई गारंटी/वारंटी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी।

36. अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गई निविदाओं के संबंध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बोली प्रतिभूति (EMD)/कार्य सम्पादन प्रतिभूति (SD) को नई बोलियों (निविदाओं) के लिए बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा तथापि यदि बोलियों को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बोली प्रतिभूति को उपयोग में लिया जा सकेगा।

37. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा, तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा मूल प्रति प्रस्तुत की जायेगी।

38. वित्तीय बोली खोलने के बाद आवश्यकता हुई तो RTPP नियम 69(2) के अनुसार न्यूनतम दरदाता से बातचीत (नेगोसिएशन) किया जा सकेगा। किन्तु नेगोसिएशन बोली लगाने वाले द्वारा मूल प्रस्ताव को प्रभावहीन नहीं करेगी।

39. न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वालों से दरें असंतोषजनक प्राप्त होने की स्थिति में, बोली मूल्य आंकन समिति न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वालों को एक लिखित प्रति प्रस्ताव देने का चयन कर सकगी और यदि वह उसके द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो उपापन समिति बोली को अस्वीकार करने के साथ बोलियां पुनः आमंत्रित करने का विनिश्चय कर सकती है या वही प्रति प्रस्ताव दूसरे न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले तथा अगले बोलीदाताओं को देकर, प्रदाय आदेश उस बोली लगाने वाले को अधिनिर्णित किया जा सकेगा, जो प्रति प्रस्ताव स्वीकार करेगा।

40. आपूर्ति जब भी प्राप्त की जायेगी, उनका निरीक्षण/परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जायेगा कि वे वांछित स्पेसिफिकेशन या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप है। जहां आवश्यक एवं व्यवहारिक होगा, परीक्षण उसके विषय विशेषज्ञ से करवाया जा सकेगा।

41. निरीक्षण एवं परीक्षण के दौरान जो वस्तुऐं अनुमोदित नहीं की जायेंगी, उन्हें रद्द कर दिया जायेगा तथा बोलीदाता द्वारा उन्हें निर्धारित अवधि में उसकी स्वयं की लागत पर बदला जायेगा।

42. जहां सरकार कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंतरिक रूप से प्रश्नांकित मदों को बदलना साध्य (Feasible) नहीं समझा जायेगा, तो उपापन संस्था बोलीदाता को सुनवाई किये जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती कर सकेगा। इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी।

43. बोलीदाता को उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने पक्ष का समर्थन करना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

44. उपापन समिति एवं उसका नामित प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर यथा आवश्यक होने पर प्रदायकर्ता के परिसर/वर्कशॉप में जायेगा तथा उसे विनिर्माण की प्रकिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चित किया जायेगा, सभी युक्तियुक्त समयों पर क्रय मदों की सामग्री एवं कर्मकौशल (Workmanship) का निरीक्षण एवं जांच करने की सम्पूर्ण शक्तियां होंगी।

45. RTPP नियम 51(2) के अनुसार बोली प्राप्त करने या खोलने की स्थिति को राजपत्रित/सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाने अथवा अंतिम तारीख कार्य दिवस नहीं होने की स्थिति में बोली अगले कार्यदिवस पर प्राप्त या खोली जायेगी।

46. समस्त बोलीदाताओं को इन शर्तों व विनिर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा बोली प्रस्तुत करते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना बोलीदाता पर बाध्यकारी है।

47. किसी भी प्रकार के विवाद के उत्पन्न होने पर न्यायक्षेत्र चूरू शहर होगा।

सहमति स्वरूप बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय फर्म मोहर

अध्यक्ष (उपापन समिति)
जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू (राज.)

एस.आर.प्रारूप–17
करार (अनुबंध) पत्र
(GF&AR पार्ट–II का नियम–68)/[RTPP का नियम–76(2)]
(निर्धारित नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

बोली आमंत्रण सूचना संख्याः 04/2026–27

- 1. यह करार पत्र आज दिनांक माह..... सन्..... को **प्रथम पक्ष** (अनुमोदित सप्लायर) तथा राजस्थान राज्य सरकार की ओर से **जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू** के मध्य सम्पन्न किया हुआ समझा जायेगा।

- 2. **अनुमोदित सप्लायर** राजस्थान राज्य के जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू द्वारा जारी खुली निविदा सूचना संख्या 01/2026–27 दिनांक के अनुक्रम में प्रस्तुत कार्य/सामान की निविदा के प्रतिफल में उक्त कार्यालय से प्राप्त कार्यालय/आपूर्ति आदेश क्रमांक दिनांक राशि अक्षरे में दी गई सभी वस्तुओं/सामानों की आपूर्ति निविदा एवं संविदा की शर्तों पर दिये गये तरीके/प्रकिया से सरकार को करने के लिए सहमत हो गया हूँ।

- 3. उक्त कार्यादेश/आपूर्ति आदेश की राशि के पेटे @ 5 प्रतिशत यथासमय प्रभावी दर से राशि की **कार्य सम्पादन प्रतिभूति (SD) राशि** बैंक ड्राफ्ट संख्या दिनांक से जमा करवाई जा चुकी है।

- 4. यदि अनुमोदिन सप्लायर कार्यादेश/आपूर्ति आदेश के अनुरूप निर्धारित समय सीमा में कार्य/आपूर्ति करेगा, उक्त शर्तों का पालन करेगा तथा उन्हें बनाये रखेगा तो सरकार जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू के माध्यम से राज्य सरकार की वित्तीय नीति निर्देशों के अनुसार प्रत्येक माल प्रेषण की देय राशि का भुगतान करेगी या करवायेगी।

- 5. माल की सुपुर्दगी कार्य आदेश जारी होने की तिथि से दिनांक तक **(तीस दिवस के अन्दर)** में प्रारम्भ की जाकर पूर्ण की जायेगी।

- 6. करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निर्वचन या व्याख्या से संबंधित सभी प्रश्न सरकार की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे, जो अंतिम रूप से स्वीकार/मान्य होंगे।

निम्नांकित की साक्षी में दोनों पक्षकारों ने आज दिनांक को अपने हस्ताक्षर किये।

प्रथम पक्षकार
(अनुमोदित सप्लायर का नाम व मोहर)

द्वितीय पक्षकार
(राज्यपाल की ओर से
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चूरू)

दिनांकः–

साक्षी संख्या 1

साक्षी संख्या 1

साक्षी संख्या 2

साक्षी संख्या 2

Financial Envelope

Office of The District and Sessions Judge, Churu

Financial Bid for Supply & Installation of Computer with UPS and Revolving Chair at District Court, Churu

S.N.	Name of Article	Estimated Amount (Maximum)	Qty.	Rate Quoted Price Per Unit in Indian Rs. (only basic price) all other taxes (if any) may be shown seperately.				
				Name of Brand	Basic Price Per Unit			Total Price in Words
					Rate	Taxes(GST and Other)	Total	
1	Desktop Com-puter (Annex A)	234300	03					
2	UPS (Annex B)		03					
3	Revolving Chair (Annex C)		06					

1. I/We have gone through the terms and conditions as stapulated in the bid enquiry document and confirm to accept and abide the same.
2. No other charges would be payble by the Department.
3. The delivery & Installation of the Items will have to be made at DJ Court Churu. No. Transportation/ Carriage charges will be provided for the same.
4. The rate quoted should be firm and final and written in ink or typed against each item and should in no case be overwritten. Any overwritting/Modification of any type will lead to rejection of the bid.
5. Rates are to be quoted item-wise otherwise bid will be treated as unresponsive. L1 will be decided on individual item basis.
6. Our Status in respect of GST is: GST Registered Bidder/ Bidder has Opted for Composition Scheme (Strike off whichever is not applicable)

Dated:-
Place:-

Signature of the Bidder with Seal

AAO-II

सिनियर सिस्टम ऑफिसर

CJM Churu

अध्यक्ष, क्रय समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय, चूरू

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated..... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Doc1

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is _____

The designation and address of the Second Appellate Authority is _____

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Doc!

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal Noof
Before the (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
 (i) Name of the appellant:

 (ii) Official address, if any:

 (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
 (i)
 (ii)
 (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:

 (Supported by an affidavit)
7. Prayer:

Place
Date
Appellant's Signature

Doc1

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Doc1